रजिस्ट्री सं० डी०(डी)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 17, 1978/ज्येष्ठ 27, 1900
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 17, 1978/JYAISTHA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 1978

का० नि० आ० 181.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं) तृतीय संशोधन नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं) नियम, 1960 में,—

(क) नियम, 25 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) यदि नियम 22 के अधीन या इससे पूर्व प्रवृत्त तत्स्थानी नियम के अधीन राष्ट्रपति को समनुदेशित कोई पालिसी, अभिदाता द्वारा सेवा त्यागने से पूर्व, परिपक्व हो जाती है, या अभिदाता और अभिदाता की पत्नी या पति के संयुक्त जीवनों के लिए कोई पालिसी, जो उक्त नियम के अधीन या इसके पूर्व प्रवृत्त तत्स्थानी नियम के अधीन समनुदेशित की गई हो, अभिदाता की पत्नी या पति की मृत्यु के कारण संदाय के लिए शोध्य हो जाती है तो लेखा अधिकारी, नियम 28 द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, बीमाकृत रकम और उस पर उद्भूत किन्ही बोनसों की रकम की वसूली करेगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम निधि में अभिदाता के खाते में जमा करेगा :—

परन्तु यह कि यदि बीमाकृत रकम और उस पर उद्भूत किन्ही बोनसों की रकम, रोकी गई या प्रतिसंहृत की गई संपूर्ण रकम से अधिक है तो, लेखा अधिकारी, का यह कर्तव्य होगा कि वह इस निमित्त लिखित आवेदन की प्राप्ति पर उसमे जो अन्तर हो उसका अभिदाता को संदाय करें ।"

(ख) चतुर्थ अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

[फिस सं० 19/3/78-डी/सिव-2/वित्त म० (रक्षा) यू०ओ०सं० 644-पी ए आफ 1978]

ओ० पी० बिहारी, उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th May, 1978

S.R.O. 181.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Defence Services) Rules, 1960, namely :—

(1) These rules may be called the General Provident Fund (Defence Services) Third Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the General Provident Fund (Defence Services) Rules, 1960 ;

(a) In rule 25, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) If a policy assigned to the President under rule 22 or under the corresponding rule heretofore in force, matures before the subscriber quits the service, or if a policy on the joint lives of a subscriber and the subscriber's wife or husband assigned under the said rule, or under the corresponding rule heretofore in force, falls due for paymentby reasons of the death of the subscriber's wife or husband, the Accounts Officer shall, save as provided by rule 28, realise the amount assured together with any accrued bonuses and shall place the amount so realised to the credit of the subscriber in the Fund :

Provided that if the amount assured together with the amount of any accrued bonuses is more than the whole of the amount withheld or withdrawn, it shall be the duty of the Accounts Officer to pay to the subscriber the difference, on receipt of a written application in this behalf." ;

(b) the Fourth Schedule shall be omitted.

[Case No. 19(3)/78/D(Civ-II)
(Min. of Fin (Def) u.o. No. 644-PA of 1978]

O. P. BEHARI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 जून, 1978

का० नि० आ० 182.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री गुरदास राम, छावनी बोर्ड, खास योल के वार्ड सं० VI के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं ।

[फाइल सं० 29/19/सी/एल एण्ड सी/76/1749-सी/डी (कैन्ट)]

एन० कृष्णन, अवर सचिव

New Delhi, the 5th June, 1978

S.R.O. 182.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri Gurdas Ram has been elected as a member of Cantonment Board Khas Yol from Ward No. VI.

[File No. 29/19/C/L&C/76/1749-C/D(Cantts)]

N. KRISHNAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 1978

का० नि० आ० 183.—केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसैनिक समारोह, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम नौसैनिक समारोह, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नौसैनिक समारोह, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1964 के अध्याय III में—

(1) "खंड II—विशेष एण्ट्री कैडेट" शब्दों और अंकों के स्थान पर "खण्ड II—स्नातक विशेष एण्ट्री कैडेट" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(2) विनियम 118 में,—

(1) उप-विनियम (2) में धारा (ख) और (ग) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(ख) आयु सीमा—जिस महीने में नौसेना अकादमी, कोचीन में पाठ्यक्रम शुरू होना है उस महीने की पहली तारीख को अभ्यर्थी की आयु 19 और 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।

नोट :—आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जाएगी ।

(ग) शैक्षिक अर्हताएं—अभ्यर्थी को भौतिकी और गणित में विज्ञान का स्नातक होना चाहिए अथवा उसके पास इंजीनियरी में उपाधि होनी चाहिए ।"

(2) उप-विनियम (4) और (5) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(4) (क) चुने हुए अभ्यर्थियों को कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वे समस्त प्रशिक्षण नौसेना के पोतों और स्थापनों में प्राप्त करेंगे ।

(ख) कैडेट के रूप में नौसेना अकादमी, कोचीन में प्रशिक्षण की अवधि छः माह होगी और उसके बाद, कैडेट (पोत पर) "मिडशिपमैन, कार्यकारी सब-लेफ्टिनेंट और सब-लेफ्टिनेंट के रूप में उनका प्रशिक्षण विनियम 121(2) (क ii), (ख), (ग) और (घ) में की गई व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित होगा ।"

"(5) नौसेना अकादमी, कोचीन, भारतीय नौसेना के पोतों और स्थापनाओं में प्रशिक्षण के दौरान कैडेट नौसेना अधिनियम के आधीन रहेंगे;"

(iii) उप विनियम (6) और (7) में, जहां भी "राष्ट्रीय रक्षा अकादमी" शब्द आएं उनके स्थान पर "नौसेना अकादमी, कोचीन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[नौसेना मुख्यालय फाइल सं० ए डी/2829/71]

ए० एल० वेंकटेस्वरन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 6th June, 1978

S.R.O. 183.—In exercise of the powers conferred by Section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957) the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1964, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Naval Ceremonial Conditions of Service and Miscellaneous (Amendment) Regulations, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Chapter III of the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1964 ;

(1) for the words and figures "SECTION II—SPECIAL ENTRY CADETS", the words and figures "SECTION II—GRADUATE SPECIAL ENTRY CADETS" shall be substituted ;

(2) in regulation 118,—

(i) in sub-regulation (2), for clauses (b) and (c), the following clauses shall respectively be substituted, namely :—

"(b) *Age limits.*—A candidate should be between 19 and 22 years of age on the 1st day of the month in which the course at Naval Academy, Cochin is due to commence.

Note : The age limits shall in no case be relaxed.

(c) Educational Qualifications.—A candidate should be a science graduate in Physics and Mathematics or he should possess a degree in Engineering". ;

(ii) for sub-regulations (4) and (5) the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely :—

"(4) (a) Selected candidates shall be appointed as cadets and undergo the entire training in Naval Ships or Establishments.

(b) The period of training as cadets at Naval Academy, Cochin shall be six months and thereafter their training as cadet (afloat), Midshipman, Acting Sub-Lieutenant and Sub-Lieutenant shall be regulated as provided in regulation 121(2), (a-ii), (b), (c) and (d).

"(5) Cadets, during training at the Naval Academy, Cochin. in Indian Naval Ships and Establishments, shall be subject to the Navy Act." ;

(iii) In sub-regulations (6) and (7), for the words

"National Defence Academy", wherever they occur, the words "Naval Academy, Cochin" shall be substituted.

[NHQ case No. AD/2829/71]

A. L. VENKATESWARAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978